

केंद्र ने छत्तीसगढ़ की सड़कों के लिये 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किये चर्चा में क्यों?

हाल ही में [केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री](#) ने छत्तीसगढ़ में सड़क अवसंरचना के विकास हेतु 11,000 करोड़ रुपए मंजूर किये।

मुख्य बंदि

- परियोजना वविरण:
 - यह धनराशि चार प्रमुख [राष्ट्रीय राजमार्गों](#) के नरिमाण और वकिसा में सहायता करेगी।
 - अनुमोदित परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 कमी. है।
 - स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएँ:
 - उरगा-कटघोरा बाईपास (NH-149 B)
 - बसना से सारंगढ़ फीडर मार्ग
 - सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर मार्ग
 - रायपुर-लखनादौन आर्थिक गलियारा
- अन्य अनुमोदन:
 - [केंद्रीय सड़क नधि \(CRF\)](#) के तहत 908 करोड़ रुपए की आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
 - केशकाल घाट और धमतरी-जगदलपुर मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण को मंजूरी।
 - [भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण \(NHAI\)](#) के अंतर्गत रायपुर-वशिखापत्तनम मार्ग और बलिसपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग का नरिमाण कार्य नरिधारित समय-सीमा में पूरण करने के नरिदेश दिये गए।

केंद्रीय सड़क नधि

- [केंद्रीय सड़क नधि \(CRF\)](#) [केंद्रीय सड़क नधि अधिनियम, 2000](#) के तहत बनाई गई एक गैर-समाप्तियोग्य नधि है।
- इसकी प्राप्ति केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की खपत पर लगाए गए उपकर/कर से की जाती है।
- CRF का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों (जनिका अंतर-राज्यीय संपर्क के साथ आर्थिक महत्व है), ग्रामीण सड़कों, रेलवे अंडर/ओवर ब्रिज आदि और राष्ट्रीय जलमार्गों (केवल वर्ष 2017 के बाद के जलमार्ग) के वकिसा और रखरखाव के लिये किये जाना चाहिये।
- 2018-19 के [केंद्रीय बजट](#) में प्रस्तुत किये गए संशोधनों के माध्यम से CRF को केंद्रीय सड़क और [बुनियादी ढाँचा नधि \(CRIF\)](#) से प्रतस्थापित किये गया।